न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

अपील सं. 03/2023

जी.सी.एम.एस. नं.: 2023/6

1. विकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ राज0

– अपीलार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ राज0
2. हजारीराम पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ राज0
3. गोपीराम पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ राज0
4. पंछीराम पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ राज0
5. स्टेट ऑफ राज. जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री बलवीर गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **श्री साहबराम, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 4**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 22.02.2024

संक्षेप में अपील प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2023 जिसके द्वारा रेस्पों. सं. 5 द्वारा कृषि भूमि चक 12 एलएम तहसील अनूपगढ़ का प.नं. 1/62 का कि.नं. 1 ता 3, 6 ता 9 कुल 1.771है. कमाण्ड भूमि का इन्तकाल वसीयत दिनांक 16.05.2016 के आधार पर रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 4 के नाम से दर्ज करने के आदेश पारित किये गये से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।
2. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के नामा मनीराम के नाम से चक 12 एलएम प.नं. 1/62 का कि.नं. 1 ता 3, 6 ता 9 कुल 1.771है. कमाण्ड भूमि रिकार्ड दर्ज थी। मनीराम का देहान्त दिनांक 24.07.2016 को हो चुका है। मनीराम के चार पुत्र रेस्पों. सं. 1 से 4 तथा छः पुत्रियां भागवंती, कृष्णा, तीजादेवी, अपीलाण्ट की माता मृतका कमलादेवी, बरफी देवी, गामतीदेवी कुल दस विधिक व जायज वारिसान हैं। कमला देवी का देहान्त हो चुका हैं जिसके अपी[illegible] मंजु विधिक वारिसान हैं। मनीराम की मृत्यु के पश्चात भूमि [illegible] समस्त वारिसान का प्रत्येक 1/10 हिस्सा विरासतन [illegible] 4 ने फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 16.05.2016 के आधा[illegible] अपने नाम से भूमि इंतकाल करवाने के आदेश पारित करवा लिये हैं [illegible]स्पो. सं. 5 द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। वसीयत प्रकरण 17/2017 की सुनवाई के दौरान अपीलांट की माता कमलादेवी का देहांत हो गया लेकिन कमला देवी के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया और प्रकरण का निर्णय कर दिया गया। वसीयत दिनांक 16.05.2016 की है, और मनीराम का देहान्त दिनांक 24.07.2016 को हुआ हैं। वृद्ध मनीराम बीमार रहते थे उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:46:41 IST
Reason: SelfAttested

अवस्था का फायदा उठाते हुए फर्जी वसीयत तैयार करवाई हैं। उक्त वसीयत के संबंध में अपीलांट के भाई राकेश कुमार द्वारा पुलिस थाना अनूपगढ़ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 174/2023 दर्ज करवाई हैं। रेस्पों. सं. 1 से 4 द्वारा मा. सिविल न्यायाधीश अनूपगढ के न्यायालय में भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद सं. 32/2014 में भूमि को पैतृक होना बताया हैं, जबकि वसीयत प्रकरण में भूमि स्वअर्जित बताई हैं। रेस्पों. सं. 5 द्वारा निर्णय पारित करते समय पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.07.2023 को अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए समस्त परिस्थितियों से अवगत करवा दिया था लेकिन रेस्पों. सं. 5 ने प्रार्थना पत्र सुनवाई नहीं कर निर्णय पारित कर दिया। जो खारिज करने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 07.08.2023 खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया हैं कि रेस्पों. के पिता मनीराम के द्वारा अपने पूर्ण होशोहवास में स्वैच्छा से अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत रेस्पोंडेंट सं. 1 से 4 के पक्ष में गवाहान के समक्ष तहरीर करवाई थी। अपीलार्थी, प्रत्यर्थीगण से द्वेष रखता हैं और इसी भावना से यह अपील प्रस्तुत की हैं। भूमि प्रत्यर्थीगण के पिता की स्वःअर्जित भूमि थी, जिसकी वसीयत उनके द्वारा स्वैच्छा से रेस्पोंडेंट के पक्ष में कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वसीयत की पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया हैं। अपीलार्थी द्वारा वसीयत को आज दिनांक तक किसी सिविल न्यायालय में चुनौति नहीं दी हैं। अपीलार्थी क्लीनहैंड से न्यायालय में नहीं आये हैं। इस कारण अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य हैं। अपील खारिज करने के लिए निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2023 में अंकित किया हैं कि भूमि वसीयतकर्ता द्वारा खरीदशुदा होने व बैयनामा का इन्तकाल सं. 72 दिनांक 14.12.1996 होने से स्वअर्जित हैं। वसीयत के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि पूर्व में उक्त भूमि के संबंध में मा. न्यायालय अपर जिला व सैशन न्यायाधीश, अनूपगढ़ में वाद पत्र एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ में प्रार्थना पत्र स्थगन विचाराधीन था जिससे संबंधित राजीनामा/प्रकरण विद्ड्राल की प्रति प्रस्तुत हाने पर निर्णय पारित किया गया हैं साथ ही कमला देवी, भागवन्ती देवी, कृष्णा देवी, गोमती देवी की ओर से वकालतनामा तो पेश हुआ हैं लेकिन कोई जवाब पेश नहीं हुआ।

5. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया गया हैं। अतः न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्[illegible] जाना उचित नहीं मानता हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के [illegible] पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:46:41 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)